



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 430 राँची, शुक्रवार,

12 सितम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

19 अगस्त, 2025

संख्या-5/आरोप-1-66/2016 का०-4921--

श्रीमती पूनम कुमारी झा, तत्कालीन उप समाहर्ता-सह-विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विरुद्ध उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पत्रांक 751/स्था०, दिनांक 30.07.2003 द्वारा गठित आरोप पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उक्त आरोप पत्र में निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित किया गया है:-

आरोप संख्या- 1- आप विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के पद पर कार्यरत थी। आपका दायित्व था कि आप बिल्डरों से कानून का पालन करवाती, परन्तु आपने बिल्डरों को सहयोग प्रदान किया तथा आप ने कानून का स्वेच्छापूर्ण ढंग से दुरुपयोग किया। आपके विरुद्ध निम्नांकित आरोप साक्ष्य सहित हैं:-

विशेष शाखा पदाधिकारी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर के ज्ञापांक-1557, दिनांक 23.04.2002 में वर्णित तथ्यों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उपहार अपार्टमेंट, मेनरोड उलियान, कदमा का नक्शा

अगस्त 01 में अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय में जमा किया गया, जिसे आपके द्वारा दिनांक 23.10.01 को पारित किया गया। बिल्डर के द्वारा पारित मानचित्र के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किया गया तथा Set Back पारित नक्शे के अनुरूप नहीं छोड़ा गया। आपके द्वारा निर्माण अवधि में स्थल निरीक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण बिल्डर ने मानचित्र से विचलन करके निर्माण कार्य किया। साथ ही, उक्त बिल्डिंग के अगल-बगल अधिकांश दो तल्ला मकान हैं, जिनमें रहने वाले परिवारों की गोपनीयता भी प्रभावित हुयी है।

इस प्रकार अपने स्थानीय लोगों की सुविधा को नजर अन्दाज किया तथा निर्माण कार्य के दौरान पारित नक्शे के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं होने के बावजूद कोई विधिसम्मत कार्रवाई नहीं की। इससे आपके उत्तरदायित्वों के प्रति लापरवाही एवं निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु नियम विरुद्ध निर्माण कार्य में संलिप्तता स्पष्ट होती है।

आरोप संख्या-2- इसी प्रकार दिगन्तिका अपार्टमेन्ट जिसके प्रमोटर चिन्मय गुहा, शिवजी पथ, उलीयान, कदमा है, ने बिना नक्शा पारित कराये इमारत का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था जिस पर उनके पड़ोसी श्री प्रकाश राव के द्वारा विरोध किया गया। इसके बावजूद आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा नियम के विरुद्ध श्री गुहा को आपने सहयोग प्रदान किया गया। श्री गुहा के द्वारा दिनांक 11.12.2000 को बिल्डिंग परमिट फीस जमा करने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जबकि आपने नक्शा दिनांक 13.03.2001 को पारित किया। बिना नक्शा पारित हुये निर्माण कार्य की सूचना आपको श्री राव के द्वारा दी गयी परन्तु आपने कोई कार्यवाही नहीं की, इस प्रकार आपने जानकारी होने के बावजूद अवैध निर्माण होने दिया तथा बिल्डर को लाभ पहुँचाया। दिनांक 09.03.2001 को श्री राव एवं श्री गुहा के बीच हुये लिखित समझौता पत्र के पृष्ठ संख्या 2 की प्रथम कंडिका से भी इसकी पुष्टि होती है। श्री गुहा द्वारा पारित नक्शे G+2 के अतिरिक्त G+3 का निर्माण करने का प्रयास किया गया। उपायुक्त के आदेशानुसार G+2 से अधिक निर्माण को तोड़ने का था परन्तु आपने उपायुक्त के आदेश की अवहेलना की तथा उसे नहीं तोड़ा। स्थानीय जनता के अत्यधिक दबाव एवं उपायुक्त की सख्ती के बावजूद आपने अवैध निर्माण को नहीं तोड़कर दिनांक 17.01.2002 को श्री गुहा के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय में धारा-192 के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर उसे पाँच सौ रूपया मात्र का अर्थदण्ड करवा कर लाभ पहुँचाया। इस प्रकार आपने बिल्डर को लाभ पहुँचाया तथा उपायुक्त के आदेश की अवहेलना की।

आरोप संख्या-3- विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के पद पर पदस्थापन के अवधि में आप के द्वारा आस्था अपार्टमेंट भाटिया बस्ती तथा आस्था सन्तोष अपार्टमेंट, भाटिया बस्ती की इमारतों का नक्शा पारित किया गया, जिसमें उचित ड्रेनेज का प्रावधान नहीं रखा गया, फिर भी आपने बिना स्थल निरीक्षण किये निर्माण कार्य के लिये नक्शा पारित किया। जाँच के क्रम में यह भी पाया गया कि निर्माण कार्य पारित नक्शा के अनुरूप नहीं हो रहा था, क्योंकि आपके द्वारा कभी स्थल का निरीक्षण ही नहीं किया गया, जिससे प्रमोटर अपनी इच्छानुसार नक्शा से हटकर कार्य करते रहे, जबकि यह आप का उत्तरदायित्व था कि समय-समय पर पारित नक्शा के अनुरूप निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाय। ऐसा नहीं कर आपने अपने उत्तरदायित्व का पालन सही ढंग से नहीं की है।

आरोप संख्या-4- चन्द्रमोहन कम्पलेक्स मेन रोड उलियान एवं रंजन अपार्टमेंट, भाटिया बस्ती, कदमा की G+4 इमारत बनाने के लिए नक्शा अनुमोदित किया गया है, जो मापदण्ड के विपरीत है। प्रमोटर द्वारा पारित नक्शा के अनुसार सेंट बैंक नहीं छोड़ा गया इसके बावजूद उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जिससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के गलत कार्य में आप की मिलीभगत है।

आरोप संख्या-5- सावित्री टावर, उलियान मेन रोड, कदमा में G+4 तल्ला इमारत बनाने का नक्शा आपके द्वारा पारित किया गया, जिसे 25.06.2002 तक पूर्ण करना था। इनके द्वारा परमिट की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अवैध ढंग से कार्य किया गया। अवधि विस्तार के लिए प्रमोटर द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया तथा आपके द्वारा भी नियमों को नजरअंदाज कर सहायोग प्रदान किया गया तथा अवधि विस्तार के लिए निर्धारित फीस भी नहीं ली गयी। इस प्रकार आपने सरकारी राजस्व को भी हानि पहुँचायी है।

आरोप संख्या-6- नारायण टावर एस०एन०पी० एरिया, साकची का G+3 का नक्शा आपके द्वारा पारित किया गया। प्रमोटर द्वारा एक अतिरिक्त वेसमेन्ट का निर्माण कराया गया, जिसकी अनुमति नहीं थी। इमारत निर्माण की अनुमति टिस्को लीज की जमीन के अन्तर्गत की गयी है, जबकि टिस्को का लीज 1995 से ही समाप्त हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने प्रमोटर से प्रभावित होकर गलत ढंग से निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान किया है। अतिरिक्त Basement बनाये जाने के विरुद्ध भी आपके द्वारा कोई विधिसम्मत कार्रवाई नहीं की गयी।

आरोप संख्या-7- साकची स्थित Ganga International Hotel के द्वारा पारित नक्शों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। उक्त क्षेत्र में टिस्को के मापदण्ड के अनुसार G+3 का अधिकांश नक्शा पारित करने का प्रावधान है। गंगा होटल के द्वारा Basement + G+4-1/2 का निर्माण कर लिया गया परन्तु आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इस प्रकार आपने बिल्डर से मिलीभगत कर उसे अवैध निर्माण करने दिया तथा अपने पद का दुरुपयोग किया।

आरोप संख्या-8- अधिसूचित क्षेत्र साकची, जमशेदपुर के कार्यालय में नक्शे से संबंधित पंजी की जाँच से स्पष्ट हुआ कि नक्शा पारित करने में अनेक प्रकार की अनियमितता एवं विसंगतियाँ हैं। कुछ बहुमंजिला इमारतों के नक्शे मात्र एक सप्ताह से पन्द्रह दिनों के अन्दर पारित किये गये हैं जबकि कुछ बहुमंजिला इमारतों के नक्शे चार महीना से भी अवधि के पश्चात् पारित किया गया है। एक ही तिथि में नक्शा पारित करने हेतु बिल्डिंग परमिट फीस की रसीद निर्गत की गयी है, परन्तु एक नक्शा तीन महीने में पारित किया गया, जबकि दूसरे का छः महीना के पश्चात्। इसी प्रकार कार्यालय में जमा नक्शे को रद्द करने में एक वर्ष का समय लिया गया। टिस्को एवं टेल्को द्वारा प्रस्तुत नक्शों को आठ-दस महीने के बाद रद्द कर दिया गया। कुछ ऐसे भी मामले पाये गये जिनको जाँच के लिये आपने रखा तथा उसका निष्पादन आपके द्वारा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा नक्शा पारित करने में किसी मापदण्ड का पालन नहीं किया गया है। अपनी इच्छानुसार बिल्डरों से मिलीभगत कर अर्थलाभ के अनुसार नक्शा पारित करने में समय लगाया गया, जो एक सरकारी पदाधिकारी के स्वच्छ आचरण के विरुद्ध है।

आरोप संख्या-9- टिस्को लीज क्षेत्र में टिस्को कम्पनी के द्वारा आवंटित मकान में बिना जे०एन०ए०सी० से नक्शा पारित कराये मकानों में अनाधिकृत निर्माण कार्य किया जाता है, जिसकी सूचना समय-समय पर टिस्को द्वारा जे०एन०ए०सी० को दी जाती है तथा कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है ।

तत्कालीन उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम श्री शैलेश कुमार सिंह के निदेशानुसार टाटा लीज कार्यालय के पत्रांक-148/टी०एल०, दिनांक 23.01.2001 द्वारा आपके द्वारा टिस्को द्वारा दी गयी अवैध निर्माण की सूचना के आधार पर विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण कार्य को रोकने तथा की गयी कार्रवाई के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया था। पुन उक्त कार्यालय के पत्रांक-353/ टी०एल०, दिनांक 01.06.2001 द्वारा स्मारित भी किया गया परन्तु आपके द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया ।

आपके द्वारा टिस्को द्वारा दी गयी अवैध निर्माण की सूचना का गलत इस्तेमाल कर अवैध राशि वसूलने का माध्यम बनाया गया। उपायुक्त के निदेश के बावजूद आपने अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की एवं उपायुक्त के आदेश की अवहेलना की ।

आरोप संख्या-10- आपके कार्यकाल माह मई 2000 से अगस्त 2002 तक की अवधि में टिस्को द्वारा अवैध निर्माण संबंधी मामलों की संख्या एवं आपके द्वारा की गयी कार्रवाई निम्न प्रकार है:-

- (1) टिस्को से अवैध निर्माण के संबंध में प्राप्त कुल मामलों की संख्या-3321
- (2) बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा-193 के अन्तर्गत जारी की गयी नोटिस की संख्या-444
- (3) उक्त अधिनियम की धारा-364 के तहत की गयी नोटिस की संख्या-175
- (4) धारा-192 के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय में दायर मुकदमों की संख्या-29
- (5) तोड़े गये अवैध मकानों की संख्या-शून्य

उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आपने अपनी इच्छानुसार कानून का दुरुपयोग किया एवं अवैध निर्माणकर्ताओं को लाभ पहुँचाया। अगर विधिव्यवस्था या अन्य कारणों से अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई में कठिनाई थी तो बिना किसी भेदभाव के आपको सभी मामलों में धारा 192 के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर करना चाहिए था परन्तु आपने 3321 मामलों में से मात्र 29 मामलों में धारा-192 के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया एवं शेष को छोड़ दिया गया। आपके द्वारा एक भी मामले में तोड़ने की कार्रवाई नहीं की गयी ।

उक्त 29 मामलों में से तीन महत्वपूर्ण मामले ऐसे हैं जो जमशेदपुर स्थित Aerodram के Funnel Area से संबंधित हैं। Funnel Area में तीनों व्यक्तियों द्वारा Permissible ऊँचाई से अधिक निर्माण किया गया। टिस्को एवं उपायुक्त के द्वारा आपको उक्त तीनों भवनों को तोड़ने का निदेश दिया परन्तु आपने तोड़ने की कार्रवाई नहीं कर उक्त तीनों के विरुद्ध धारा-192 के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर मात्र पाँच सौ रूपया अधिकतम का अर्थदण्ड करवा दिया गया, जिसके कारण उक्त तीनों मकानों को अब नहीं तोड़ा जा सकता है। आपकी इस कार्रवाई से हेलीकॉप्टर एवं अन्य वायुयान के उड़ान में असुविधा होती रहती है। साथ ही हवाई यात्रा कर रहे सामान्य एवं अतिविशिष्ट नागरिकों की जान सदैव खतरे में रहती है ।

इसी प्रकार आपने कदमा स्थित बहुमंजिला इमारत नटराज टावर एवं विष्टुपुर स्थित सुरभि अपार्टमेंट द्वारा पारित नक्शे के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किये जाने के विरुद्ध तोड़ने की कार्रवाई नहीं की तथा धारा-192 के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर उसे अर्थदण्ड करवा दिया गया एवं बिल्डर को लाभ पहुँचाया गया।

आरोप संख्या-11- मेसर्स टिस्को, डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, रोड नं०-4, कान्हेक्टर एरिया बिस्टुपुर के द्वारा दिनांक 08.02.2000 को चार तल्ला बिल्डिंग निर्माण हेतु नक्शा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18.10.2000 अर्थात् लगभग आठ माह के पश्चात् आपने बिल्डिंग परमिट फीस जमा करने का निदेश दिया। टिस्को के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.05.2002 को प्राप्त हुआ। कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता ने दिनांक 15.06.2002 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी। दिनांक 15.06.02 से संचिका आपके पास लम्बित रही तथा आपने नक्शा पारित नहीं किया। इतनी लम्बी अवधि तक निर्णय नहीं लेने का कोई कारण संचिका पर दर्ज नहीं है।

टिस्को द्वारा अनापत्ति एवं अभियंतागण द्वारा तकनीकी स्वीकृति देने के पश्चात् नक्शा पारित नहीं करना यह स्पष्ट करता है कि आपने अवैध राशि नहीं मिलने के कारण स्कूल का नक्शा पारित नहीं किया जबकि स्कूल भवन का निर्माण शैक्षणिक वातावरण के लिये कितना आवश्यक है।

आरोप संख्या-12- श्री एम०ए० पाल, होल्डिंग नं०-7, द्यातकीडीह द्वारा दो तल्ला भवन निर्माण हेतु आवेदन दिया गया। आपके द्वारा दिनांक 14.02.2002 को बिल्डिंग परमिट फीस जमा लेने का निदेश दिया गया। दिनांक 15.02.2002 को श्री पाल के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर दिया गया। टिस्को के द्वारा 12.03.2002 को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। दिनांक 26.04.2002 को कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता ने नक्शा पारित करने की अनुशंसा करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। आपके द्वारा मामले को स्थानीय जाँच हेतु लम्बित रखते हुए नक्शा पारित करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। श्री पाल के द्वारा बताया गया कि उन्होंने आपसे कई बार मुलाकात भी की, परन्तु आपने उनका नक्शा पारित नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि आपने अपने पद एवं कानून का दुरुपयोग करते हुए श्री पाल को जानबूझकर आर्थिक लाभ के लिये परेशान किया। मनवांछित राशि प्राप्त नहीं होने के कारण आपने बिना कारण के उनका नक्शा तम्बित छोड़ दिया।

आरोप संख्या-13- टिस्को लीज क्षेत्र के अन्तर्गत नक्शा पारित करने के पूर्व टिस्को से नक्शे पर मंतव्य प्राप्त करना आवश्यक है, परन्तु आपके द्वारा दिनांक 25.08.2000 से 20.07.2002 के बीच कुल-55 मामलों में बिना टिस्को के पूर्व मंतव्य के नक्शा पारित कर दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि आपने आर्थिक लाभ के लिये एवं आवेदक को अतिरिक्त लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से टिस्को से मंतव्य प्राप्त नहीं किया तथा अपने स्तर से नक्शा पारित कर नियम का उल्लंघन किया।

आरोप संख्या-14- श्री जी०एल० टॉक के द्वारा साकची मार्केट स्थित होल्डिंग नं०-17 पर G+2 तल्ला भवन निर्माण हेतु आवेदन दिया, जिस पर टिस्को द्वारा बिल्डिंग प्लान को पारित करने की अनुशंसा की गई। कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता ने 09.07.2001 को नक्शा पारित करने की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। आपके द्वारा लगभग दो माह से भी अधिक समय के पश्चात् यह लिखते हुए नक्शा खारिज कर दिया गया कि "जमीन सैरात की है, जिस पर टाटा लीज कार्यालय

से मंतव्य प्राप्त करना अपेक्षित है। लीज नवीकरण लम्बित है। तब तक मानचित्र अस्वीकृत किया जा रहा है" दिनांक 12.10.2001 को पत्रांक 25721, दिनांक 12.10.2001 द्वारा आपने आवेदक को इस आशय का पत्र निर्गत किया।

उसी साकची मार्केट सैरात की जमीन पर अवस्थित होल्डिंग सं0-103, एवं होल्डिंग सं0-104 पर आपने G+2 तल्ला भवन निर्माण का नक्शा क्रमशः परमिट संख्या-25940, दिनांक 29.07.02 एवं परमिट संख्या-25941, दिनांक 05.08.2002 द्वारा पारित कर दिया। नक्शा पारित करने की तिथि तक टिस्को लीज का नवीकरण नहीं हुआ था। इस बात की जानकारी आपको भी थी। स्पष्ट है कि श्री जी०एल० टॉक के द्वारा आपको नक्शा पारित करने हेतु मनोवांछित अवैध राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा आपने सैरात की जमीन एवं टिस्को लीज नवीकरण की आड़ में उसका नक्शा खारिज कर दिया गया जबकि उसी सैरात की जमीन पर आपने उक्त दोनों नियमों की अनदेखी कर नक्शा पारित कर दिया। आपने आर्थिक लाभ के लिये नियमों का अपने ढंग से उपयोग किया एवं अपने पद का दुरुपयोग कर कानून की धज्जी उड़ा दी।

उपरोक्त वर्णित आरोपों से स्पष्ट है कि :-

(i) आपके द्वारा बहुमंजिला इमारतों या अन्य भवनों के नक्शों को पारित करने में कोई मापदण्ड का पालन नहीं किया गया है। एक ही तिथि में जमा नक्शों को पारित करने में मानमाने तरीके से कम एवं अत्यधिक समय लगाया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस कार्य में आपकी भूमिका संदिग्ध है।

(ii) बहुमंजिलों इमारती के बिल्डर्स/प्रमोटर्स द्वारा नियमों का उल्लंघन कर पारित नक्शा से बढ़कर और अधिक लाभ कमाने की नीयत से भवन निर्माण कार्य किया जा रहा था। परन्तु आपके द्वारा जानबूझकर इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे प्रतीत होता है कि आपकी बिल्डर्स/प्रमोटर्स से मिलीभगत है। टिस्को लीज क्षेत्र में बिना टिस्को की अनापत्ति प्रमाण पत्र के दिनांक 25.08.2000 से 20.07.2002 की अवधि में कुल 55 भवनों का नक्शा पारित किया गया, जो नियम विरुद्ध है।

(iii) टिस्को द्वारा लीज क्षेत्र में आवंटित मकानों में अवैध निर्माण की सूचना आपको दी जाती थी। दिनांक 25.08.2000 से 20.07.2000 तक की अवधि में टिस्को द्वारा कुल-1157 पत्रों द्वारा टिस्को आवंटित होल्डिंग में अवैध निर्माण की सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध आपसे किया गया परन्तु आपके द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी बल्कि उक्त सूचना का उनके द्वारा गलत इस्तेमाल करते हुए बिहार एण्ड उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट, 1922 की धारा-193 एवं 192 का दुरुपयोग किया गया है।

(iv) उपायुक्त के पत्रांक 148/टी० एल०, दिनांक 23.02.2001 एवं पुनः 353/टी०एल०, दिनांक 01.06.2001 द्वारा आपको अवैध निर्माण कार्यों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का आदेश दिया, परन्तु आपके द्वारा उपायुक्त के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जो स्पष्ट रूप से आपकी कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं disobedience का द्योतक है।

(v) आपके द्वारा जाँच टीम को जाँच कार्य सम्पन्न करने के लिये नक्शों से संबंधित अभिलेख/संचिका उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे कार्य बाधित हुआ है।

(vi) उपर्युक्त आरोपों से यह प्रमाणित हो जाता है कि आपने अपने दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया है। राजपत्रित पदाधिकारी एवं एक निकाय के प्रभारी होने के नाते आपको अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों एवं कानून के अनुसार कार्य करना था परन्तु आपने बिहार एवं उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 के प्रावधानों का प्रयोग स्वेच्छापूर्ण एवं मनमाने ढंग से कर उनका दुरुपयोग किया।

2 उपर्युक्त आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-5670, दिनांक-25.04.2017 के द्वारा श्रीमती झा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-274, दिनांक- 18.09.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही के उपरांत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती झा के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप संख्या-1, 2 एवं 11 को अंशतः प्रमाणित होता है, प्रतिवेदित किया गया है तथा अन्य आरोपों को प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है।

4. श्रीमती झा के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों, उनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक- 4802, दिनांक- 19.06.2019 के द्वारा श्रीमती झा के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-139(ख) के तहत इनकी सेवा को असंतोषजनक मानते हुए इनके पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 04 (चार) वर्षों तक करने के बिन्दु पर श्रीमती झा से कारण पृच्छा की मांग की गयी।

5. श्रीमती झा के पत्र, दिनांक- 18.07.2019 के द्वारा कारण पृच्छा का जबाब समर्पित किया गया ।

समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक- 1085, दिनांक- 19.02.2021 के द्वारा श्रीमती झा के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-139(ख) के तहत इनकी सेवा को असंतोषजनक मानते हुए इनके पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 03 (तीन) वर्षों तक करने के बिन्दु पर श्रीमती झा से कारण पृच्छा की मांग की गयी।

6. श्रीमती झा के पत्र, दिनांक- 18.06.2021 के द्वारा कारण पृच्छा का जबाब समर्पित किया गया।

7. श्रीमती झा के विरुद्ध संचालित प्रस्तुत मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रासंगिक मामले में श्रीमती झा के सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2019 के पूर्व से ही विभागीय कार्यवाही संचालित है। अतएव समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक- 4912, दिनांक- 26.07.2024 के द्वारा श्रीमती झा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम- 43(ख) के तहत सम्पेरिवर्तित करते हुए श्रीमती झा के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनके पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 03 (तीन) वर्षों तक करने के बिन्दु पर श्रीमती झा से कारण पृच्छा की मांग की गयी।

8. श्रीमती झा के पत्र दिनांक- 03.09.2024 के द्वारा कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया, जिसका सारांश निम्नवत् है-

(क) श्रीमती झा के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि प्रसंगाधीन प्रपत्र 'क' जमशेदपुर में मेरो जे०एन०ए०सी० के प्रभार में रहने के काल का है। मेरे समकक्ष के पदाधिकारी मुझे उक्त प्रभार से अवैधानिक तरीके से हटाकर स्वयं आना चाहते थे जिसका समुचित प्रतिकार करने के कारण वे मेरे विरुद्ध पूर्वाग्रह और बदले की भावना से ग्रसित थे। फलस्वरूप मेरे विरुद्ध बाद में मेरा स्थानान्तरण होने पर जब वे प्रभार में आए तो अनाप शनाप लम्बा जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त को दिया गया था और यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रसंगाधीन वर्ष 2003 से प्रक्रियाधीन है, जिसमें मेरे द्वारा कई बार कारण पृच्छा समर्पित किया गया है।

(ख) वर्ष 2003-04 में सचिव महोदय, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा विभाग स्तर से भी इस मामले की निष्पक्ष जाँच करायी गयी थी जिनके द्वारा भी उक्त वस्तुस्थिति का उल्लेख किया गया है।

विभाग के द्वारा-जाँच कराये जाने पर जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रसंगाधीन आरोप पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उल्लेख होने तथा जाँच पदाधिकारी के द्वारा मुझे आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गयी।

(ग) विभागीय कार्यवाही के उपरांत संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उनके द्वारा भी यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आरोप बदले की भावना से लगाया गया है।

आरोप पत्र में उल्लेखित कुल 14 आरोपों में से 11 आरोपों को संचालन पदाधिकारी के द्वारा खारिज किया गया है। केवल तीन आरोपों को अंशतः प्रमाणित किया गया है किन्तु उसमें भी आरोप को साक्ष्यरहित और पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया गया है। फिर आंशिक प्रमाणित कैसे हुआ बिचार किया जा सकता है।

(घ) प्रसंगाधीन आरोप न तो सरकार को आर्थिक क्षति न तो आर्थिक गबन का है और न ही कोई गलत निर्णय लेने का है। नक्शा पारित करने में विलंब का है जो मुख्यतः प्रक्रियागत मामला है। नक्शा पास होने की एक प्रक्रिया है, कई कारण से विलम्ब हो सकता है। नक्शे के साथ आवश्यक कागजात संलग्न नहीं होने, नीचे के इंजीनियर आदि के द्वारा जाँच प्रतिवेदन सौंपने का कार्य इत्यादि कहीं भी किसी कारण से लंबित होता है। सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति या नगर निगम में ऐसा होता है। इस मामले में मुझे कैसे दोषी कहा जा सकता है, इसका जिक्र संचालन पदाधिकारी के द्वारा भी प्रतिवेदन में कई स्थान पर किया गया है।

(ङ.) प्रसंगाधीन कार्यालय जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में ही मेरे कार्यकाल में अधिकाधिक राजस्व सरकार को उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त महोदय के द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया था। मैं जहाँ भी पदस्थापित रही झारखण्ड में वहाँ के उपायुक्त महोदय के द्वारा मुझे प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया था।

(च) प्रसंगाधीन मामले में विभागीय संचालन पदाधिकारी का सम्पूर्ण प्रतिवेदन (वर्ष 2017) और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा नियुक्त वरीय जाँच पदाधिकारी (वर्ष 2003-2004) का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे साथ पूर्वाग्रह और बदले की भावना से मेरे समकक्ष स्तर के पदाधिकारी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिया गया था जिसके आधार पर आरोप गठित हुआ था।

9. श्रीमती झा के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को जबाब में आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों को अप्रमाणित करने हेतु कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। श्रीमती झा के द्वारा पूर्व में समर्पित कारण पृच्छा में अंकित तथ्यों की ही दुबारा अंकित किया गया है जिसपर पूर्व में विचार किया जा चुका है।

10. समीक्षोपरान्त श्रीमती पूनम कुमारी झा, झा०प्र०से०(को०क्र०-585/03), तत्कालीन उप समाहर्ता-सह-विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत श्रीमती झा के पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 03(तीन) वर्षों तक करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

तदोपरांत विभागीय पत्रांक- 8217, दिनांक 20.12.2024 के द्वारा श्रीमती झा के विरुद्ध उपयुक्त अनुमोदित दण्ड के बिन्दु पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से किया गया।

11. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक- 1836, दिनांक 29.07.2025 के द्वारा श्रीमती पूनम कुमारी झा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०(को०क्र०-585/03) के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत श्रीमती झा के पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 03(तीन) वर्षों तक करने का परामर्श दिया गया है।

12. अतः श्रीमती पूनम कुमारी झा, झा०प्र०से०(को०क्र०-585/03), तत्कालीन उप समाहर्ता-सह-विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत श्रीमती झा के पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 03 (तीन) वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती पूनम कुमारी झा, झा०प्र०से० (को०क्र०-585/03), सम्प्रति-सेवानिवृत्त एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
